शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

स्कूल चलें अभियान
मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक /1375427/2023/20-2/1205

भोपाल, दिनांक 09/06/2023

प्रति,

स्कूल चलें हम अभियान 2023–24 प्रथम चरण परिपत्र क्रमांक –1

1. संभागीय आयुक्त राजस्व,
   समस्त संभाग (म.प्र.)
2. कलेक्टर,
   समस्त जिले (म.प्र.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
   समस्त जिले (म.प्र.)
4. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   समस्त नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर परिषद

विषयः–स्कूल चलें हम अभियान 2023–24 प्रथम चरण।

संदर्भः–म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 44–4 / 2019 / 20–2 भोपाल दिनांक 12 / 4 / 2023

म.प्र. शासन, के निर्णय अनुसार अकादमिक सत्र 2023–24 ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात् 16 जून 2023 से पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य 6–18 आयुवर्ग के सभी बच्चों का आयु अनुरूप कक्षा 1 से 12 में विद्यालय में शतप्रतिशत नामांकन एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। जून माह में विद्यार्थियों के शतप्रतिशत नामांकन एवं विभिन्न प्रवेश, विभिन्न योजनाओं हेतु पात्रता का निर्धारण हेतु सत्र 2023–24 में स्कूल चलें हम अभियान तीन चरणों में संचालित किया जायेगा। प्रथम चरण 16 जून 2023 से 31 जुलाई 2023 तक संचालित किया जायेगा जिसमें, निम्नानुसार गतिविधियां की जायें–

1. सामुदायिक सहभागिता एवं प्रचार–प्रसार –

- जिला, विकासखण्ड एवं स्थानीय स्तर पर स्थानीय समाचार पत्रो एवं अन्य गतिविधियों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए जिससे जनसमुदाय, पालकों एवं विद्यार्थियों को ग्रीष्म अवकाश के पश्चात सत्र 16 जून से प्रारंभ होने की जानकारी हो, तथा विद्यार्थियों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो।
- **शाला प्रबंधन समिति की बैठकः–** 16 जून 2023 को प्रत्येक विद्यालय में शाला प्रबंधन समिति (SMC), शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) की बैठक का आयोजन किया जाये, जिसमें उपस्थित सदस्यों को अप्रैल माह में छात्रों के नामांकन, उपस्थिति, छात्रों के उपलब्धि स्तर तथा सत्र हेतु अध्ययन– अध्यापन की प्रस्तावित कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की जाये।

- **बाल सभा का आयोजनः–** दिनांक 17 जून 2023 को बाल सभा का आयोजन किया जाये। बाल सभा में 'माँ की बगिया' एवं विद्यालय परिसर एवं कक्षा कक्षों की स्वच्छता तथा साज–सज्जा की जाये।
- **पालकों से चर्चाः–** माह जून के तृतीय सप्ताह 19 जून से 26 जून के मध्य स्थानीय परिस्थिति अनुसार **यथा संभव कक्षावार पालकों** (विद्यार्थी के माता एवं पिता, दोनो) को आमंत्रित किया जाये। सम्मेलन में प्रत्येक पालक से बच्चे की शैक्षणिक स्थिति (शैक्षिक स्तर, विद्यार्थी की रूचि एव नियमित उपस्थिति) के साथ–साथ शैक्षणिक कलेण्डर अनुसार वर्ष में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए उनसे आवश्यक सहयोग की अपील की जाये।

2. प्रवेशोत्सव एवं शाला की प्रारंभिक तैयारी–

- 16 जून 2023 को प्रत्येक प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया जाये, एवं विशेष भोज (मध्यान्ह भोजन) का आयोजन किया जाये। 16 जून 2023 को सत्र 2022–23 में कक्षा 1 से 4 तक अध्ययनरत् छात्रों को कक्षा 2 से 5 एवं कक्षा 6 से 7 में अध्ययनरत बच्चो को कक्षा 7 से 8 में पात्रतानुसार प्रवेश देकर प्रोफाईल अपडेट की जाये। कक्षा 5 एवं 8 में अध्ययनरत बच्चो को कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाये। कक्षा 9 से 11 तक अध्ययनरत् छात्रों को कक्षा 10 से 12 में प्रवेश दिया जाये।
- **गृह सम्पर्क अभियानः–** के अन्तर्गत जिले को शाला से बाहर लक्षित बच्चों का सर्वे 10 जून 2023 तक अनिवार्यतः कर लिया जाये। सर्वे में शाला प्रवेश हेतु चिन्हित एवं शाला में दर्ज परन्तु पोर्टल में अनमैपड बच्चों को दिनांक 16 जून 2023 को प्रवेश दिया जाकर पोर्टल पर मेप किया जाये।
- रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, हाट बाजार, व्यवसायिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठानो के साथ–साथ झुग्गी एवं पिछड़ी बस्ती में रहने वाले शाला से बाहर बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा से शिक्षा की मुख्य धारा जोड़ने हेतु विशेष सर्वे किया जाये।
- **कक्षा 1 में प्रवेश हेतु बच्चों का चिन्हाकनः–** पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों और पालको से सम्पर्क के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र एक उपयुक्त जगह है। इसके अतिरिक्त कक्षा 1 में प्रवेश हेतु बच्चों की संभावित जानकारी नवप्रवेश प्रबंधन मॉड्यूल पर उपलब्ध हैं। अतः आयु अनुरूप 100 प्रतिशत बच्चों का कक्षा–1 में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाये।
- शाला भवन एवं प्रांगण की स्वच्छता–विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व शाला भवनों के आंतरिक एवं बाह्य स्वच्छता हेतु कार्य किया जाये।
- शालाओं के बालक एवं बालिकाओं के शौचालय क्रियाशील एवं उपयोगी होना चाहिये। इस हेतु मुहिम बनाकर शाला शौचालय की नियमित साफ–सफाई, विसंक्रमण एवं आवश्यक रख–रखाव कर शौचालय की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये। शाला शौचालयों की नियमित साफ–सफाई हेतु ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय स्तर से अन्य मद से सफाई कर्मी की व्यवस्था तथा सफाई सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- शालाओं में पेयजल सुविधा सुरक्षित एवं बच्चों की पहुँच में हो। इस हेतु पेयजल के बर्तनों की सफाई, वाटर पोस्ट के आस–पास की सफाई सुनिश्चित की जाये।

- ब्रिज कोर्स के लिये चिन्हित बच्चों हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/ईएण्ड़आर/2023/3013 भोपाल दिनांक 18.04.2023 अनुसार आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (RST) प्रारंभ किया जाये।
- **व्यवसायिक शिक्षा ट्रेड में प्रवेशः–** व्यवसायिक शिक्षा मे विभिन्न ट्रेड संचालित है। इन चयनित विद्यालयों में विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों के संबंध में उन्मुखीकरण, करके उन्हें ट्रेड को एक विषय के रूप मे लेने हेतु प्रेरित किया जायेगा। (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मे अध्ययनरत बालिकाओ को आवश्यक रूप से व्यवसायिक शिक्षा के लिये उनकी रूचि के अनुसार प्रोत्साहित किया जाये)।
- **छात्रावासों में प्रवेशः–** शासन के प्रावधान अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रं./राशिके/ईएण्डआर/2023/3013 दिनांक 18/4/2023 के अनुसार दिनांक 1 मई 2023 से 16 जून 2023 तक प्रत्येक जिले में अधिकतम 200 छात्र/छात्राओं के लिए (बालक छात्रावास 50 सीटर एवं 150 बालिकाएं) 'समर केम्प' का संचालन किया गया है। समर केम्प में शामिल समस्त बालक/बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराया जाये। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित छात्रावासों में कक्षा 6 से 8 तक एवं कक्षा 6 से 12 (स्वीकृत संख्या) अनुसार बालक/बालिकाओं को छात्रावासो में प्रवेश दिलाया जायें। कक्षा 8 उत्त्तीर्ण बालिकाओ को समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित निकटस्थ बालिका छात्रावास अथवा जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों में दर्ज कराया जाये।
- **बाल स्वराज पोर्टल में चिन्हित** बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क /राशिके/ईएण्डआर/2023/3532 दिनांक 23/05/2023 के अन्तर्गत बाल स्वराज पोर्टल में दर्ज कोविड–19 बाल सेवा योजना के हितग्रहियों की सूची का सत्यापन करते हुये उनके प्रवेश हेतु समुचित कार्यवाही की जाये।

3. M–शिक्षा मित्र से विद्यार्थियों के नामांकन की ट्रैकिंग –

- प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अथवा स्कूल प्रभारी द्वारा 16 जून 2023 से प्रतिदिन एम–शिक्षा मित्र ऐप पर शाला में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाये, ताकि सत्र प्रारंभ होने की स्थिति की नियमित ट्रेकिंग हो सके। सत्र 2023–24 में शालावार प्राप्त पुस्तकों की ट्रेकिंग निःशुल्क पाठ्यपुस्तक ऐप के माध्यम से की जायेगी।
- कक्षा 1 से 8 एवं 9 से 12 में अध्ययनरत छात्रों को प्रवेश पंजी में दर्ज किया जाये। तथा यदि उनकी जानकारी यथा उम्र, माता/पिता का नाम, जाति, पता, एवं जन्मतिथि में कोई परिवर्तन हो तो छात्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर सम्रग शिक्षा पोर्टल में तदानुसार अद्यतन की कार्यवाही की जाये।
- कक्षा 5वीं से 6वीं एवं कक्षा 8वीं से 9वीं में ट्रांजिशन लॉस को रोकने के लिए कक्षा 5वीं एवं 8वीं से उत्त्तीर्ण छात्र–छात्राओं का अभिलेख (स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि) निकटस्थ माध्यमिक /हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को हस्तांतरित किया जाएगा एवं उसकी जानकारी संबन्धित छात्र एवं उसके पालक को दी जाएगी ताकि उक्त छात्र उन शालाओं में नामांकन करा सकें। प्राचार्य

हाईस्कूल एवं प्राचार्य हायर सेकेण्डरी द्वारा कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की ट्रेकिंग की जायेगी।

4 **अकादमिक–**

दिनांक 16 जून 2023 से नियमित कक्षा 1 से 8 के संचालन हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र./पा.पु./ राशिके/2023/1850 दिनांक 31.03.2023 एवं पत्र क्र./पा.पु./राशिके/2023/897 दिनांक 21.04.2023 के माध्यम से जारी किये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये। कक्षा 9 से 12 के लिये निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से जारी किये जायेगे।

5. **समग्र शिक्षा पोर्टल/MPTAAS पर प्रविष्टि–**

- समग्र शिक्षा पोर्टल में प्रविष्टि का कार्य 16 जून 2023 तक अनिवार्यतः पूर्ण किया जाये।
- समय सीमा में प्रविष्टि पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व जिला प्रोग्रामर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक का होगा। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी एवं समय पर सम्पूर्ण कार्य पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग एवं जिला परियोजना समन्वयक की होगी।
- समग्र शिक्षा पोर्टल एवं डाईस में शालाओं की संख्या एवं नामांकन एक समान होना चाहिए।
- आदिवासी जिलो में **MPTAAS** पर भी जिलो में संचालित शालाओ में अध्ययनरत विद्यार्थियो का प्रोफाईल पंजीकरण किया जाये।

6. **विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थियों का निर्धारण–** प्रवेशित विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं यथा पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, साइकिल इत्यादि का निर्धारण पोर्टल पर प्रविष्टि उपरांत किया जायेगा।

कृपया स्कूल चलें हम अभियान अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही संपादित करना सुनिश्चित करें। स्कूल चलें हम अभियान 2023–24 के द्वितीय एवं तृतीय चरण के निर्देश पृथक से जारी किए जायेंगे।

(रश्मि अरूण शमी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
स्कूल शिक्षा, विभाग

पृ.क्रमांक/1375427**/2023/**20-2-/1206
भोपाल, दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी म.प्र. शासन।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
3. निज सचिव, मान. मंत्रीजी म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग।
4. निज सचिव, मान. मंत्रीजी म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।
5. निज सचिव, मान. राज्य मंत्रीजी म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
7. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
8. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
9. आयुक्त, लोक शिक्षण, संचालनालय म. प्र., भोपाल।

10 आयुक्त, सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
11. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
12 आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग, म. प्र., भोपाल।
13 आयुक्त, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग म. प्र., भोपाल।
14 समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
15 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग/प्राचार्य डाईट/जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
16 समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, मध्यप्रदेश।

संचालक
राज्य शिक्षा केंद्र